न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 158 / 2019

श्योनारायण उर्फ श्योकरण पुत्र भीयाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगरसिंहपूरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थी)
2. राजपैराकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 19.11.19

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी का नाम श्योनारायण है जो कि सही नाम है व प्रार्थी के आवश्यक दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम श्योनारायण अंकित है परन्तु जमाबंदी चक 21 एस पी एम खाता संख्या 46 / 41 में प्रार्थी का नाम श्योनारायण अंकित है जिससे प्रार्थी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी की कृषि भूमि चक 21 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 46 / 41 प.न. 37 / 204 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. कुल खाता 6.325 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रार्थी के नाम 1.581 है. आराजी दर्ज कागजात है । उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम श्योकरण पुत्र भीयाराम दर्ज है जबकि सही नाम श्योनारायण पुत्र भींयाराम दर्ज होना चाहिये नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम श्योनारायण पुत्र भींयाराम ही दर्ज है जबकि जमाबंदी में प्रार्थी के नाम गलत दर्ज हो गये है जबकि प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। श्योकरण व श्योनारायण अलग अलग व्यक्ति नही है इस सम्बध मे ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पेश की जा रही है। ग्राम पंचायत डुंगरसिंहपूरा द्वारा प्रार्थी का नाम श्योनारायण होने के सम्बध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है । प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड मे भी प्रार्थी का नाम रायसिंह दर्ज है। फोटो प्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मन्नीवाली, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे श्योकरण पुत्र भींयाराम अलग दर्ज रहने के कारण प्रार्थी को पानी की बारी , रकम अदायगी, बैंक ऋण, व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी अपने नाम दर्ज चक 21 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 46 / 41 प.न. 37 / 204 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. कुल खाता 6.325 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रार्थी के नाम दर्ज 1.581 है. आराजी में प्रार्थी का नाम "श्योकरण पुत्र भींयाराम " के स्थान पर " श्योनारायण पुत्र भींयाराम " दर्ज करवाने का कानूनन हक अधिकारी है। जिसे न्यायहित में दरूस्त किया जाना आवश्यक है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज चक 21 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 46 / 41 प.न. 37 / 204 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. कुल खाता 6.325 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रार्थी के नाम दर्ज 1.581 है. आराजी में प्रार्थी का नाम "श्योकरण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

भींयाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगरसिंहपूरा " के स्थान पर "श्योनारायण पुत्र भींयाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगरसिहपूरा " दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश हुयी। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर हुयी।

बहस प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया, वादाधीन आराजी प्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड बैयनामा से दर्ज हुयी है एवं रजिस्टर्ड बैयनामा में प्रार्थी का नाम श्योनारायण अंकित है परन्तु उक्त बैयनामा के आधार पर दर्ज ईन्तकाल में त्रुटिवश प्रार्थी नाम गलत दर्ज हुआ है जिस कारण रिकॉर्ड में दर्ज होने पर प्रार्थी का नाम अलग दर्ज हुआ है , इस सम्बध में प्रार्थी ने अपने समस्त दस्तावेज व पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड बैयनामा व ईन्तकाल की प्रति पेश की है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम त्रुटिवश गलत दर्ज हुआ है, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस एव अभिकथनों से बखूबी साबित किया है। मैं प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि – चक 21 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 46/41 प.न. 37/204 मु.न. 26 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय गै.मु. कुल खाता 6.325 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रार्थी के नाम दर्ज 1.581 है. आराजी में प्रार्थी का नाम "श्योकरण पुत्र भींयाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगरसिंहपूरा " के स्थान पर "श्योनारायण पुत्र भींयाराम जाति कुम्हार निवासी डुंगरसिहपूरा "दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पत्र जारी हो।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.11.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.12.05 17:51:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: